न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 117/2009 दायर दिनांकः 07/12/2009

उनवान

1. राधा बाई आयु 45 वर्ष पुत्री भैरूलाल जाति चमार
2. मांगीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति चमार निवासीगण नीमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 28 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा
2. जमनालाल आयु 55 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
3. बनवारीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
4. मथुरालाल आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति बलाई
5. देवीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र नारायण जाति चमार निवासीगण नीमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक बद्रीलाल नागर प्रतिवादी कम 1 ता 3
विद्वान अभिभाषक विनोद प्रताप सिंह प्रतिवादी कम 5

निर्णय दिनाकः 17/08/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां में वादीगण के पिता भैरूलाल जाति चमार के साबिक ख0नं0 143 में से 8 बीघा 3 बिस्वा आराजी गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 268/321 का रकबा 0.90 हे0 बनाये गये

है। जो वर्तमान में वादीगण के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 नई जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 एवं मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। ख0नं0 143 में 18 बीघा 6 बिस्वा आराजी प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसके नये ख0नं0 271 का रकबा 2.96 है0 बनाये है और प्रतिवादी क्रम 4 के ख0नं0 143 में 6 बीघा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसके नये ख0नं0 264 का रकबा 0.78 है0 बनाये है तथा ख0नं0 143 में से 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 5 के गैर खातेदारी मे दर्ज थी जिसके नये ख0नं0 268 का रकबा 1.29 है0 बनाये है तथा नवीन ख0नं0 269 का रकबा 0.64 है0 भूमि प्रतिवादी के क्रम 1 के क्रम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वाद पत्र के साथ में जमाबन्दीयां पुरानी संवत 209 से 2042 नवीन जमाबन्दीयां संवत 2064 से 2067 एवं मिलान क्षेत्रफल पुराना एवं नया नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवादी क्रम 6 के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने गफलत एवं लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुऐ वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के पिता भैरूलाल के गैर खातेदारी की साबिक ख0नं0 143 का रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा के नये ख0नं0 268/321 का रकबा 0.90 है0 ही दर्ज किया है जबकि पुराने रकबे 8 बीघा 3 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 1.30 है0 दर्ज करना चाहिए था जो नही किया गया इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 6 के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने पुराने असल रकबे 1.30 है0 के बजाये 0.90 है0 दर्ज किया है जो वास्तविक रकबे से 0.40 है0 कम दर्ज किया है जिसे वादीगण दुरूस्त करवा कर पुराने रकबे के अनुसार 0.90 है0 के स्थान पर 1.30 है0 दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार पुराने ख0नं0 143 में से प्रतिवादी क्रम 1 को कोई भूमि अलोट नहीं हुई थी फिर भी नवीन ख0नं0 269 का रकबा 0.64 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर दी इसी प्रकार 269/377 का रकबा 0. 20 है0 बना कर सिवायचक खाता राज दर्ज करदी। प्रतिवादीगण वादीगण के कम हुऐ रकबे के इन्द्राज का गलत इस्तेमाल करके आराजी की पैमाईश करवा कर उसी अनुसार आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण को 0.40 है0 आराजी से वंचित होना पडेगा इसी क्रम में प्रतिवादीगण क्रम 6 द्वारा आराजी की पेमाईश के आदेश दे दिये गये है। वादी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सभव नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और वादीगण के स्वामित्व की साबिक ख0नं0 143 की 8 बीघा 3 बिस्पा जिसके नये ख0नं0 268/321 का रकबा 0.90 है0 के आधार पर पुराने रकबे के नये रकबे 1.30 है0 में से 0.40 है0

आराजी को पेमाईश कर जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण को आराजी में प्राप्त चले आ रहे अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी अस्तु वादीगण पुराने रकबे 8 बीघा 3 बिस्वा के वास्तविक रकबे 1.30 है0 ख0नं0 268/321 का रकबा 0.90 है0 को दुरूस्त करवा कर 1.30 है0 के खातेदार कृषक घोषित होकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकासरी है कि वे वादीगण को पुराने रकबे 8 बीघा 3 बिस्वा जिस पर वर्तमान में भी काबिज है पर जबरन कब्जा नहीं करें, किसी प्रकार की पेमाईश नहीं करावे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे तथा वादीगण को 1.30 है0 आराजी को शान्तीपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी कम 6 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा वादीगण के खाते की आराजी का रकबा कम दर्ज करने व उसके आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा पेमाईश करवा कर जबरन आराजी पर कब्जा करने पर दिनांक 15.11.2009 को अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र बमुकाम अटरू में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशयक की सादिर फरमाई जावे–

(अ) राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर पुराने ख0नं0 143 का रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 268/321 का रकबा 0.90 है0 को दुरूस्त किया जाकर पुराने रकबे के अनुसार नया रकबा 1.30 है0 अर्थात 0. 40 है0 कम किये गये रकबे को वादीगण के खाते दर्ज किया जावे तथा वादीगण को रकबा 1.30 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाते दर्ज किया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

(स) यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करले तो उन्हे बेदखल कर पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

(ब) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 का विवरण स्वीकार नहीं है विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है कथन है कि प्रतिवादी क्रम 1 को नियमानुसार पुराने ख0नं0 143 का नवीन ख0नं0 269 की 0.64 है0 आराजी दिनांक 17.09.98 को आवंटित हुई थी तथा उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रतिवादी क्रम 1 ही काबिज काश्त करता चला आ रहा था तथा आज भी उसी आराजी पर काबिज काश्त कर रहा है। वाद पत्र की मद नं0 5 का विवरण स्वीकार नहीं है अपितु कथन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 स्वयं के स्वामित्व की आराजी पर ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण की किसी भी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं कर रखा है। न ही कब्जा करने की धमकी दी है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है, विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है वाद घोषणा का होने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं देने से वाद खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है वाद अवधि मध्य पेश नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अनुतोष वादीगण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

प्रतिवादी क्रम 1 को पुराने ख0नं0 143 का नवीन ख0नं0 269 का रकबा 0.64 है0 आराजी 17.09.98 को नियमानुसार केम्प भैंसडा में आवंटन हुई थी तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 वर्ष 1992 से ही काबिज काश्त कर रहा है आवंटन के पश्चात दिनांक 08.10.2000 को दखल नामा

दिया गया था। आवंटन पत्र व दखल नामा नवीन जमाबन्दी नकल नामानतरण जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवादी कम 2 व 3 ने पुराने ख0नं0 143 में से 20 बीघा भूमि उत्तर दिशा की जरिये रजिस्टर्ड बेनाम खरीद की थी तथा माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश कोटा के आदेश दिनांक 07.02.81 तथा इजराय संख्या 30/80 की पालना में बेनामा सब रजिस्ट्रार अटरू ने तस्दीक फरमाया था सरकारी खाते में ख0नं0 143 में पर्याप्त भूमि नहीं होने से प्रतिवादी कम 2 व 3 को 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि ही खाते वर्ष 1981 में दर्ज की गई थी तथा प्रतिवादी कम 2 व 3 आज भी इसी 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर ही काबिज काश्त कर रहे है। प्रतिवादी कम 2 व 3 ने वादीगण की किसी भी भूमि पर कोई जबरन कब्जा करने की धमकी नहीं दी। प्रतिवादी कम 2 व 3 आज भी ख0नं0 271 की 2.96 है0 आराजी दर्ज है जो उनके पुराने रकबे के अनुसार ही सही दर्ज किया है पर काबिज काश्त कर रहे है। नवीन जमाबन्दी संवत 2064 से 2067, नक्शा ट्रेस, पर्चा लगान भू प्रबंध विभाग, नामान्तरण संख्या 97 की नकल, बेनामा आराजी पुराना ख0नं0 143 की प्रति साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद घोषणा का होने से धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना दावा पेश करने से काबिज खारिज होने योग्य है। प्रबतवादी कम 1 ता 3 ने वादी की भूमि पर कब्जा नहीं कर रखा है न ही कोई धमकी दी है, वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद अवधि मध्य पेश नहीं होने से चलने योग्य नहीं है इस कारण वादीगण का वाद खारिज होने योगय है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी कम 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी कम 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है अपितु कथन है कि प्रतिवादी कम 5 के भी अलोटमेन्ट से पूर्व ख0नं0 143 में से 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी और वर्तमान में नये ख0नपं0 268 की 1.29 है0 भूमि ही दर्ज है प्रतिवादी कम 5 के भी 0.01 है0 आराजी कम दर्ज हुई है जिसको भी पूरी किया जावे। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वादीगण ने आना रकबा जिसके पास है और कितना है यह कहीं भी वाद पत्र में नहीं दर्शाया गा है इस प्रकार बिना किसी आधार के रकबा पूर्ण किया जाना संभव

नहीं है। प्रतिवादी क्रम 5 के पास तो पहले ही सेटलमेन्ट ने 0.01 है0 आराजी कम कर दी है जिसको पूर्ण किया जाना भी आवश्यक है वादी को अपने रकबे की ही जानकारी नहीं है वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने की गरज से दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है। अनुतोष वादीगण अस्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ख0नं0 268/321 रकबा 0.90 है0 भूमि मांगीलाल पुत्र भैरूलाल राधाबाई पुत्री भैरूलाल जाति मेघवाल के खाते दर्ज है तथा ख0नं0 269/377 रकबा 0.20 है0 भूमि सिवायचक राज0 सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त दोनों खसरों पर राधाबाई, मांगीलाल वगै0 का ही कब्जा चला आ रहा है। ख0नं0 269 रकबा 0.64 है0 सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा के खाते दर्ज है तथा उक्त ख0नं0 पर कब्जा काश्त चला हा रहा है।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः—

तनकी नं0 1—आया कि वादीगण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर पुराने ख0नं0 143 का रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 268/321 का रकबा 0.90 है0 अर्थात 0.40 है0 कम किये गये रकबे को वादीगण के खाते दर्ज किया जावे तथा वादीगण को रकबा 1.30 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाते दर्ज किया जावे।

वादीगण

तनकी नं0 2—आया कि वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तीपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

वादीगण

तनकी नं0 3—आया कि यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण वादीगण के स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा करले तो उन्हे बेदखल कर पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

वादीगण

तनकी नं0 4–आया कि प्रतिवादी क्रम 1 को पुराने ख0नं0 143 का नवीन ख0नं0 269 का रकबा 0.64 है0 आराजी 17.9.1998 को नियमानुसार आवंटित हुई थी तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 वर्ष 1992 से ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 5–आया कि प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने पुराने ख0नं0 143 में से 20 बीघा भूमि उत्तर दिशा की रजिस्टर्ड बेनामा से खरीद की है तथा माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश कोटा के निर्णय एवं इजराय संख्या 30/80 की पालना 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि खाते दर्ज की गई थी जिस पर ही वे काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ख0नं0 271 की 2.96 है0 जो उनके दर्ज खाता है पर ही काबिज काश्त कर रहे है।

प्रतिवादी क्रम 2 व 3

तनकी नं0 6–आया कि वाद घोषणा का होने से राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं देने से चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3

तनकी नं0 7–आया कि वादीगण ने अपना रकबा किसके पास है और कितना है यह कहीं भी वाद पत्र में नही दर्शाया है इस वजह से बिना किसी आधार के रकबा पूर्ण किया जना संभव नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 5

तनकी नं0 8– दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत pw1 राधाबाई पुत्री भैरूलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ ब्यान लेखबद्ध किये गये। ग्राम निमोदा की पुराने ख0नं0 143 का रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा आराजी मेरे पिता भेरूलाल के गैर खातेदारी दर्ज थी जिसको बाद में सेटलमेन्ट ने नवीन ख0नं0 268/321 रकबा 0.90 है0 बनाये है जो वर्तमान में मेरे भाई मांगीलाल व मेरे शामलाती खाते दर्ज है। सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण ने गफलत व लापरवाहीपूर्वक कार्य करते हुये वक्त सेटलमेन्ट मेरे पिता के ख0नं0 143 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा में से नवीन ख0नं0 368/321 रकबा 0.90 है0 दर्ज किया है। जबकि पुराने रकबे के अनुसार 1.30 है0 दर्ज होना था। इस तरह वास्तविक रकबे में से 0.40 है0 कम दर्ज किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 सत्यनारायण के कोई भूमि अलोट नही हुई। फिर भी ख0नं0 143 के नवीन ख0नं0 269

रकबा 0.64 है0 खाते दर्ज कर दी है व ख0नं0 143 में से नवीन खं0नं 269/377 का रकबा 0.20 है0 बनाकर सिवायचक खाताराज दर्ज कर दिया है। मेरे व मेरे भाई मांगीलाल के 0.40 है0 कम हुऐ रकबे को दुरूस्त कर मेरे व मेरे भाई मांगीलाल के 1.30 है0 आराजी खाते दर्ज किया जावे। जिरह वकील प्रतिवादी श्री बद्रीलाल नागर द्वारा जिरह की गई।

Pw2 मेघराज पुत्र छोटूलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। ग्राम निमोदा की पुराने ख0नं0 143 का रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा आराजी वादीया के पिता भेरूलाल के गैर खातेदारी दर्ज थी जिसको बाद में सेटलमेन्ट ने नवीन ख0नं0 268/321 रकबा 0.90 है0 बनाये है जो वर्तमान में राधाबाई व उसके भाई के शामलाती खाते दर्ज है। सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण ने गफलत व लापरवाहीपूर्वक कार्य करते हुये वक्त सेटलमेन्ट मेरे पिता के ख0नं0 143 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा में से नवीन ख0नं0 368/321 रकबा 0.90 है0 दर्ज किया है। जबकि पुराने रकबे के अनुसार 1.30 है0 दर्ज होना था। इस तरह वास्तविक रकबे में से 0.40 है0 कम दर्ज किया गया है। प्रतिवादी कम 1 सत्यनारायण के कोई भूमि अलोट नही हुई। फिर भी ख0नं0 143 के नवीन ख0नं0 269 रकबा 0.64 है0 खाते दर्ज कर दी है व ख0नं0 143 में से नवीन खं0नं 269/377 का रकबा 0.20 है0 बनाकर सिवायचक खाताराज दर्ज कर दिया है। वादिया राधाबाई व उसके भाई के 0.40 है0 कम हुऐ रकबे को दुरूस्त कर 1.30 है0 आराजी खाते दर्ज किया जावे। मेरा खेत वादिया राधाबाई के खेत के पास ही है इस वजह से मुझे इसकी जानकारी है।

5. साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 सत्यनारायण पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी निमोदा, Dw2 जमनालाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी निमोदा, Dw3 बनवारी पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी निमोदा, Dw4 कृष्णमुरारी पुत्र अमरलाल जाति मीणा, Dw5 भोलाराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रतिवादीयों ने बताया कि सत्यनारायण को जानता हूॅ यह मेरे गांव का रहने वाला है सत्यनारायण के खेत के पास मे ही मेरा खेत है। जिसको मैंने देख रखा है। सत्यनारायण को पुराने ख0नं0 143 का नवीन ख0नं0 269 का रकबा 0.64 है0 आराजी 17.09.98 का नियमानुसार केम्प भैंसडा में आवंटन हुई थी तथा उक्त आराजी पर सत्यनारायण वर्ष 1992 से ही काबिज काश्त कर रहा है। आवंटन के पश्चात दिनांक 08.10.2000 को सत्यनारायण को दखलनामा दिया गया था तथा बनवारीलाल व प्रतिवादी कम 2 जमनालाल पुत्र मथुरालाल ने पुराने ख0नं0 143 में

से 20 बीघा भूमि उत्तर दिशा की जरिये रजिस्टर्ड बेनामा खरीद की थी जिसकी मुझे जानकारी है। सरकारी खाते में ख0नं0 143 में पर्याप्त भूमि नहीं होने से बनवारीलाल व प्रतिवादी कम 2 के 18 बीघा 6 बिस्पा भूमि ही खाते वर्ष 1985 में दर्ज की गई थी। बनवारीलाल व प्रतिवादी कम 2 आज भी उसी 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर ही काबिज काश्त कर रहे है प्रतिवादी कम 1, 2, 3 ने वादीगण की किसी भी भूमि पर कोई जबरन कब्जा करने की धमकी नहीं दी। बनवारीलाल व प्रतिवादी कम 2 के आज भी ख0नं0 271 की 2.96 है0 आराजी दर्ज है जो उनके पुराने रकबे के अनुसार ही सही दर्ज है। उसी पर काबिज काश्त कर रहे है। अभिभाषक वादीगण श्री महेन्द्र सिहं हाडा द्वारा जिरह की गई।

6. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

<u>तनकी नं0 1–</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। अभिभाषक वादीगण ने बहस में कथन किया कि सेटलमेन्ट से पूर्व आवंटित भूमि 8 बीघा 3 बिस्वा का नया रकबा 1.30 है0 बननता चाहिऐ लेकिन केवल 0.90 है0 बनाया गया जो कि मूल रकबे से 0.40 है0 कम है। राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त दिया है कि सेटलमेन्ट विभाग को सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी खातेदार के मूल रकबे में कमी/वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं है। अभिभाषक प्रति0 कम 1 ता 3 तथा अभिभाषक प्रति0 5 ने न तो अपने जवाब दावे में और न ही बहस के दौरान कहीं भी वादी के इस तथ्य (facts) कि वादीगण का सेटलमेन्ट द्वारा मूल रकबा 0.40 है0 कम दर्ज किया है जिसे वह अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है'' का स्पष्ट विरोध नहीं किया ।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह एक well admitted fact है कि सेटलमेंट के दोरान वादीगण का मूल रकबा बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के 0.40 है0 कम कर दिया गया है। अतः इस कम हुऐ रकबे को अपने खाते दर्ज कराने का वादीगण कानूनन अधिकारी है लेकिन प्रश्न यह है कि इस रकबे की क्षतिपूर्ति कहां से की जावे या यह घटा हुआ रकबा किस खातेदार के रकबे में बढाया गया है ? इस भी साबित करने का भार वादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण द्वारा आस पास के खेतों/ख0नं0 की जमाबंदी व मिलान क्षेत्र पेश किये गये जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के खेत ख0नं0 268/321 के चारों ओर ख0नं0 263, 264, 265, 267, 268, 269, 269/377 व 271 स्थित है। इनमें से वादीगण द्वारा केवल ख0नं0

264, 268, 269, 269/377 व 271 का भू. प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया। इनमें से ख0नं0 268, 269/377 व 271 का सेटलमेंट से पूर्व एवं पश्चात के रकबे यथावत है अर्थात कोई परिवर्तन नहीं है जबकि ख0नं0 264 का रकबा 0.96 है0 की जगह 0.78 है0 यानी 0.18 है0 कम दर्ज किया गया है। हाल ख0नं0 264 का सेटलमेंट से पूर्व कितना रकबा था–यह वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। हाल ख0नं0 264 के भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रुल के अभाव में इसके रकबे में कोई परिवर्तन हुआ है या नही निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के मद क्रम 4 कथन किया है कि ख0नं0 264 रकबा 0.64 है0 कभी भी प्रति0 क्रम 1 को आवंटन नहीं हुई फिर भी इसके खाते दर्ज कर दी गई है। अभिभाषक प्रति0 1 ता 3 द्वारा उक्त कथन का पुरजोर विरोध करते हुऐ कथन किया कि हाल ख0नं0 264 रकबा 0.64 है0 भूमि प्रति क्रम 1 को ग्राम पंचायत भैंसडा में आयोजित कैम्प में प्रति0 1 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.09.1998 को आवंटन की गई था और दिनांक 08.10.2000 को राजस्व विभाग द्वारा दखलनामा देकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। प्रतिक्रम 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र (प्रदर्श–D1) , दखलनामा (प्रदर्श–D2), नामा. संख्या 71 (प्रदर्श–D4) व वर्तमान जमाबन्दी (प्रदर्श–D3) पेश किये। उक्त दस्तावेजों के ध्यानपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल ख0नं0 264 रकबा 0.64 है0 भूमि सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचायत भैंसडा के कैम्प से प्रतिवादी क्रम 1 को दिनांक 17.09.1998 को आवंटन कर दिनांक 08.10.2000 को दखलनामा दिया गया और दिनांक 14.06.2000 को जरिऐ नामा0 71 गैर खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार वाद पत्र का मद क्रम 4 गलत सिद्ध होता है। पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्ल्यू 2 के सशपथ बयानों से भी यह साबित नहीं होता कि वादीगण का कम हुआ 0.40 है0 रकबा किस पडौसी काश्तकार के रकबे में बढाया गया है और कितना कितना बढाया गया है।

प्रतिवादी क्रम 6 यानी तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2021 व 09.05.2022 का भी अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि ख0नं0 264 रकबा 0.64 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ही कब्जा काश्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 1 आंशिकतः वादीगण पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2— इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण के रकबे के इन्द्राज में कमी का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उसकी आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। अभिभाषक प्रति0 क्रम 1 ता 3 द्वारा इसका पूरजोर विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा न तो वादीगण की आराजी पर कोई कब्जा कर रखा है और न ही ऐसी कोई धमकी दी है। हम तो अपने खाते की आराजी पर ही कब्जा काश्त है। वादीगण चाहे तो राजस्व विभाग से सीमज्ञान करा सकते है। प्रतिवादीगण ने तो स्वयं साबिक ख0नं0 143 में से 20 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मौके पर भूमि कम उपलब्ध होने से हमें 1981 में केवल 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि खाते दर्ज की गई थी। अतः वादीगण की तनकी नं0 2 खारिज फरमाई जावे।

उपरोक्त दोनों पक्षों की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2021 व 09.05.2022 के अनुसार वादीगण मौके पर स्वयं के खाते की आराजी ख0नं0 268/321 के साथ–साथ समीपस्थ सरकारी भूमि ख0नं0 269/377 किस्म गै0मु0 रास्ता पर भी कब्जा काश्त है जबकि प्रति क्रम 1 ता 3 अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 269 व 271 पर ही कब्जा काश्त है। अर्थात वादीगण तथा प्रतिवादीगण सभी राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपनी–अपनी आराजी पर सही कब्जा काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त बहस के परिपेक्ष्य में pw1 व pw2 के सशपथ बयानों का भी अवलोकन किया गया। pw1 व pw2 ने अपने बयानों में कहीं भी यह कथन नहीं किया कि प्रतिवादीगण ने उसकी आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार तनकी नं0 1 भी आंशिकतः वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हाल रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खाते की आराजी पर कोई कब्जा साबित नहीं हुआ है। अतः तनकी नं0 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3— इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने में विफल रहा है कि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खाते की आराजी पर कब्जा किया हो। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 16.

06.2021 व 09.05.2022 से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर दौराने वाद कोई कब्जा नहीं किया है। अतः तनकी नं0 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। प्रतिक्रम 1 द्वारा पेश आवंटन पत्र (प्रदर्श—D1), दखलनामा (प्रदर्श—D2), नामा.संख्या 71 (प्रदर्श—D4) व वर्तमान जमाबन्दी (प्रदर्श—D3), जमाबंदी संवत 2056—59 (प्रदर्श—D5) एवं तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2021 व 09.05.2022 आदि के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम निमोदा की आराजी ख0नं0 269 रकबा 0.64 है0 प्रतिवादी क्रम 1 को दिनांक 17.09.1998 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार आंवटित की गई थी। जिस पर दिनांक 08.10.2000 को राजस्व विभाग द्वारा दखलनामा देकर गैर खातेदारी दर्ज किया गया था। उक्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का वर्ष 1992 से कब्जा था— इसे प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः तनकी नं0 4 आंशिकतः प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 व 3 पर था। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 पेश भू—प्रबंध विभाग की जमाबन्दी वर्ष 1989 से 2009 (प्रदर्श डी 9ए), ग्राम निमोदा की नामान्तरण पंजिका (प्रदर्श डी 10ए), रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.1981 (प्रदर्श डी 11ए), नजरी नक्शा (प्रदर्श डी 8ए), आदि के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम निमोदा के साबिक ख0नं0 143 में से 20 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई थी जिसे ए0डी0जे0 कोर्ट कोटा की इजराय संख्या 30/80 की पालना में 1981 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2021 व 09.05.2022 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 व 3 वर्तमान में अपने खाते की ही आराजी ख0नं0 271 रकबा 2.96 है0 पर ही कब्जा काश्त है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 5 प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 पर था। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 6 राज सरकार एक फोरमल पक्षकार है जिसका प्रत्यक्षतः कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः

राज सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। अभिभाषक प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा इस पर कोई विशेष आपत्ति पेश नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अपने कई निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि जहां राज. सरकार केवल फोरमल पक्षकार हो और उसका प्रत्यक्षः कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा हो वहां धारा 80 सीपीसी. का नोटिस दिया जाना अनिवार्य नहीं है। अतः तनकी नं0 6 प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 5 पर था। तनकी नं0 1 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 7 आंशिकतः प्रतिवादी क्रम 5 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 188 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण संख्या– 117/2009

उनवान

1. राधा बाई आयु 45 वर्ष पुत्री भैरूलाल जाति चमार
2. मांगीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति चमार निवासीगण नीमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 28 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा
2. जमनालाल आयु 55 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
3. बनवारीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
4. मथुरालाल आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति बलाई
5. देवीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र नारायण जाति चमार निवासीगण नीमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3
विद्वान अभिभाषक विनोद प्रताप सिंह प्रतिवादी क्रम 5
मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 268/321 रकबा 0.90 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 188 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.08.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)